

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु.नं. 44/2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

28.06.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी कन्हैयालाल ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक सुजानगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में पुराना खाता संख्या 35 नया खाता संख्या 40 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ठरड़ा	40/35	कन्हैयालाल पुत्र हनुमानदास हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी सुजानगढ़ खातेदार	कन्हैयालाल पुत्र हनुमानदास हिस्सा 1/4 जाति स्वामी निवासी सुजानगढ़ खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

28/06/19

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़